कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक/भूप्रआ/समु/भूकर/1118/1185 III 852 दिनांक: 22-3-2001

भूमि-वर्गीकरण

परिपत्र

राज्य के विभिन्न भू-प्रबन्ध दलों के निरीक्षण के दौरान फील्ड स्टाफ द्वारा मेरे ध्यान में लाया गया है कि उनके द्वारा भूमि-वर्गीकरण की कार्यवाही मौके के अनुसार नहीं की जा रही है । इस सम्बन्ध में उनकी मान्यता है कि जब लगान निर्धारण की प्रक्रिया ही समाप्त करदी गई है तो भूमि-वर्गीकरण करना अनावश्यक है । यह एक गलत धारणा है, क्योंकि भूमि-वर्ग निर्धारित किये जाने का उद्देश्य मात्र लगान - कायमी ही नहीं है वरन भूमिवर्ग से भू-उपयोग का निर्धारण व उस पर नियन्त्रण किया जाता है । विभिन्न फसलों व उनके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का अनुमान लगाया जाता है । भूमि-वर्ग के आधार पर कृषिक्षेत्र में वृद्धि व सुधार भी किये जा सकते हैं तथा विभिन्न विकास योजनाओं के कियान्वयन में भी भूमिवर्गों की आवश्यकता रहती है । इसके साथ ही भूमि रूपान्तरण एवं भूमि वर्गीकरण से हुई लगान वृद्धि से सरकार को अच्छी खासी आय भी प्राप्त होती है ।

अतः पूर्व में जारी किए गए तत्सम्बन्धित विभागीय परिपत्रों व आदेशों को अपास्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 149, 150 एवं भू-प्रबन्ध नियमावली के अध्याय 5 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार भूमि वर्गीकरण मौके के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जावें ।

भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक/समसंख्यक : 853-866 दिनांक : 22-3-2001

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/भीलवाड़ा/अजमेर/सिरोही/अलवर/भरतपुर/कोटा/टोंक/सीकर/डूंगरपुर/बांसवाड़ा ।

भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

अग्रवाल/